कार्यालय अपीलीय अधिकारी (सूचना का अधिकार) एवं संचालनालय,
तकनीकी शिक्षा, भोपाल–462004 (म.प्र.)

क्र. सूअप्र/ संतशि/ 2010/1463
भोपाल दिनांक : 30/08/2010.

देवमुनी भारतीय,
तुलसी भवन, मौर्य प्रिंटिंग प्रेस के पीछे,
पीटीएस चौक, रीवा–(म.प्र.) आवेदक/अपीलार्थी

विरूद्ध

लोक सूचना अधिकारी,
रीवा इंजी0महा0 रीवा अनावेदक/ प्रतिअपीलार्थी

–000–

प्रथम अपील सुनवाई दिनांक 30.08.2010
(श्री देवमुनी भारतीय, रीवा–म.प्र)

आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित ।

अनावेदक/प्रति अपीलार्थी (**लोक सूचना अधिकारी, रीवा इंजी0महा0 रीवा**).

–000–

1/– अपीलार्थी द्वारा तीन आवेदन लोक सूचना अधिकारी, रीवा इंजी.महा. रीवा को प्रस्तुत कर सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाही गई थी । आवेदक के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निर्धारित समयावधि में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई जिस कारण आवेदक द्वारा 03 प्रथम अपीलें अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की गई हैं ।
2/– अपील की सुनवाई के दौरान आवेदक उपस्थित नहीं हुआ । अनावेदक लोक सूचना अधिकारी, रीवा इंजी.महा. रीवा द्वारा प्रस्तुत तर्क, प्रथम अपील आवेदन, एवं अन्य दस्तावेजों का मेरे द्वारा अवलोकन एवं श्रवण किया गया ।
3/– अनावेदक लोक सूचना अधिकारी, रीवा इंजी.महा. रीवा द्वारा आवेदक का आवेदन निर्धारित फीस 10 रूपए के स्टांप जो कि सूचना के अधिकार की फीस के रूप में जमा किया गया है, के पृष्ठ भाग पर सही प्रविष्टि न पाए जाने के कारण लिखित में आवेदक को त्रुटि सुधार कर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है परंतु आवेदक ने न तो नियमानुसार उक्त कार्यवाही ही की है और न ही आज दिनांक तक इस संबंध में लोक सूचना अधिकारी, रीवा इंजी.महा. रीवा से संपर्क ही किया है ।
4/– आवेदक द्वारा तीनों आवेदन में चाहे गए दस्तावेज का स्वरूप विस्तृत होने के कारण अनावेदक लोक सूचना अधिकारी, रीवा इंजी.महा. रीवा द्वारा आवेदक को यह भी सूचित किया गया है कि बी.ई. की परीक्षाएं 8 सेमेस्टर मे होती हैं । सभी की सैद्धांतिक परीक्षाएं भी अलग अलग होती हैं जो आरजीपीव्ही द्वारा कराई जाती हैं । वांछित जानकारी में आपने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि आपको किस सेमेस्टर में राशि व्यय के दस्तावेज चाहिए । साथ

ही कार्यवाही संपन्न होने पर सभी अभिलेख आरजीपीव्ही भेज दिए जाते हैं । अतः ऐसी स्थिति में अग्रिम कार्यवाही के लिए आरजीपीव्ही से भोपाल से संपर्क करें । लोक सूचना अधिकारी, रीवा इंजी.महा. रीवा के उक्त कार्यवाही के संबंध में आवेदक द्वारा न तो आज दिनांक तक लोक सूचना अधिकारी, रीवा इंजी.महा. रीवा से कोई संपर्क ही किया गया है और न ही किसी तरह का पत्र व्यवहार किया है ।

4/– लोक सूचना अधिकारी, रीवा इंजी.महा. रीवा द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक द्वारा कतिपय तत्वों के बहकावे में आकर इस तरह की जानकारी चाही गई है और उसकी मंशा इसके द्वारा कालेज प्रशासन पर दबाव बनाने और परेशान करने की है जो कि सूचना के अधिकार के दुरूपयोग की की श्रेणी में आता है ।

5/– आवेदक द्वारा लोक सूचना अधिकारी से संपर्क न करना, अपील उपरांत सुनवाई में उपस्थित न होना आदि से भी यही परिलक्षित होता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन जनहित में प्रतीत नहीं होता तथापि सूचना के अधिकार की मंशा के अनुरूप आवेदक को यथा संभव जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लोक सूचना अधिकारी, रीवा इंजी.महा. रीवा को निर्देशित किया जाता है कि वे एकबार पुनः आवेदक से संपर्क कर कार्यालय से जो जानकारी सूचना के अधिकार के अंतर्गत दी जाना संभव हो, उसे तत्काल आवेदक को उपलब्ध करावें ।

6/–उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील निराकृत की गई । अपील की सुनवाई एवं सहमति स्वरूप नियमानुसार हस्ताक्षर अपील रजिस्टर में अभिलिखित किए गए हैं ।

7/–उक्त निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में आवेदक द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार अपील की जा सकती है।

द्वितीय अपील	**समय–सीमा**
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011(म.प्र.)	विनिश्चय की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर

अपीलीय अधिकारी एवं संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
भोपाल–म.प्र.

क्र. सूअप्र/ संतशि/10/ 1464 **भोपाल दिनांक :** 30/08/2010

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1/– **श्री देवमुनी भारतीय, तुलसी भवन, मौर्य प्रिंटिंग प्रेस के पीछे, पीटीएस चौक, रीवा–(म.प्र.)।**

2/– लोक सूचना अधिकारी, रीवा इंजी0कालेज0 रीवा ।

3/– लोक सूचना अधिकारी संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, भोपाल ।

4/– संचालक तकनीकी शिक्षा के वरिष्ठ निज सहायक ।

5/– संचालनालय कंप्यूटर सेल ।

अपीलीय अधिकारी एवं संचालक
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
भोपाल–म.प्र.